जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति **दिनांक 25.09.2024**

एसओजी शामली एवं थाना झिंझाना पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में थाना झिंझाना क्षेत्रान्तर्गत मौहल्ला सुन्दर नगर में हुई डकैती की घटना में संलिप्त/वांछित 50 हजार रुपये का ईनामी अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में घायल/गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 02 अंगूठी, 5500 रुपये की नगदी , अवैध हथियार मय कारतूस व चोरी की मोटरसाइकिल बरामदः-

ज्ञात हो कि दिनांक 09/10.07.2024 की रात्रि को थाना झिंझाना क्षेत्रान्तर्गत वादी श्री बलविन्द्र उर्फ बिल्लू पुत्र चंदासिंह निवासी ग्राम सुन्दरनगर चौसाना थाना झिंझाना जनपद शामली के घर में घुसकर 05 अज्ञात बदमाशों द्वारा वादी व परिजनों को बंधक बनाकर मारपीट कर घर में रखे 2 लाख 55 हजार रुपये, 02 सोने की अंगूठी, 02 सोने के कानों के कुण्डल, 01 सोने की असली, 02 चांदी की पाजेब, 01 कीपैड़ मोबाइल फोन व अन्य सामान को लूट कर ले जाने की घटना के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर लिखित तहरीर दाखिल की गयी थी । तहरीर के आधार पर थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया । सूचना पर तत्काल पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा घटना की गम्भीरता के दृष्टिगत थाना झिंझाना पुलिस, एसओजी/सर्विलांस टीम सहित टीमों का गठन कर घटना के शीघ्र अनावरण हेतु निर्देशित किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 25.09.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे चोरी/लूट/डकैती की घटनाओं के अनावरण एवं ऐसी वारदातों में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कार्यालय के कुशल पर्यवेक्षण में एसओजी शामली एवं थाना झिंझाना पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में झिंझाना क्षेत्रान्तर्गत मोहल्ला सुन्दर नगर में हुई डकैती की घटना में शामिल 50 हजार रुपये के ईनामी 01 शातिर बदमाश/लुटेरों को यमुना बांध मार्ग जंगल ग्राम सुन्दरनगर पर पुलिस मुठभेड़ में आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में 01 अभियुक्त घायल हुआ है। अभियुक्त के द्वारा की गई फायरिंग में मुख्य आरक्षी मुकेश कुमार भी घायल हुए है। घायलों को उपचार हेतु सीएचसी ऊन में भर्ती कराया गया। उपरोक्त घायल अभियुक्त के कब्जे से 02 अंगूठी पीली धातु (डकैती से सम्बन्धित), 5500 रुपये की नगदी (डकैती से सम्बन्धित), 01 तमंचा मय 02 खोखा व 02 जिंदा कारतूस 315 बोर व चोरी की 01 मोटरसाइकिल रजि0 HR-05-AZ-3844 (करनाल से चोरी) बरामद करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है । गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। अभियुक्त सोनू उर्फ दलजीत के आपराधिक इतिहास से सम्बन्धित कुछ मुकदमो में अभियुक्त द्वारा नामपता गलत बताकर अंकित कराये गये है। जिनकी जानकरी की जा रही है । उपरोक्त घटना से सम्बन्धित 04 अभियुक्तगण सिमरनजीत, अनस, जावेद उर्फ बिल्डर व तालिब उर्फ मलिक उर्फ टोपीवाला को डकैती मे लूटे गये माल सहित पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.सोनू उर्फ दलजीत पुत्र बलविन्द्र निवासी ग्राम सुन्दरनगर चौसाना थाना झिंझाना जनपद शामली हाल निवासी करनाल (हरियाणा)।

आपराधित इतिहास अभियुक्त उपरोक्तः-

1.मु0अ0सं0 281/2024 धारा 311/127(2)/331(4) बीएनएस थाना झिंझाना जनपद शामली।

2.मु0अ0सं0 292/24 धारा 109 बीएनएस थाना झिंझाना जनपद शामली।

3.मु0अ0सं0 226/13 धारा 302/459/342/148/149 भादवि थाना सदर समाना जनपद पटियाला (पंजाब)।

4.मु0अ0सं0 74/19 धारा 395/452/455/506/473/120 बी भादवि व 25 आयुध अधिनियम थाना सदर समाना जनपद पटियाला (पंजाब)।

बरामदगी का विवरणः-

1.नगदी 5500 रुपये (डकैती से सम्बन्धित)।

2.अंगूठी 02 पीली धातु (डकैती से सम्बन्धित)।

3.अवैध 01 तमंचा 315 बोर मय 02 खोखा व 02 जिंदा कारतूस 315 बोर।

4.चोरी की मोटरसाइकिल रजि0 नं0 HR-05-AZ-3844 (करनाल से चोरी)।

थाना कैराना/गढ़ीपुख्ता/कोतवाली शामली पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 06 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तारः-

आज दिनांक 25.09.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना कैराना/गढ़ीपुख्ता/कोतवाली शामली पुलिस द्वारा वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 06 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है । अभियुक्तों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सम्बन्धित थानों पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.जबरदीन पुत्र अशरफ निवासी ग्राम भूरा थाना कैराना जनपद शामली ।

2.शहजाद पुत्र अब्दुल रहीम निवासी ग्राम मौहम्मदपुर राई थाना कैराना जनपद शामली ।

3.रवि पुत्र पूरन निवासी मौहल्ला दरबार खुर्द थाना कैराना जनपद शामली ।

4.हारुन पुत्र राडा निवासी ग्राम तितरवाड़ा थाना कैराना जनपद शामली ।

5.श्याम पुत्र मामचन्द निवासी ग्राम यूनुसपुर थाना गढ़ीपुख्ता जनपद शामली ।

6.संजीव पुत्र जयभगवान निवासी मौहल्ला हनुमान टीला थाना कोतवाली शामली जनपद शामली ।

<u>उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में 05 मामलों में 06 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई कारावास की सजा व 7,500/-रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गयाः-</u>

1. वर्ष 2010 में अभियुक्त अरविन्द पुत्र तेजपाल निवासी ग्राम मुकन्दपुर थाना छपरौली जनपद बागपत के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 777/2010 धारा 4/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया था । इसी क्रम में आज दिनांक 25.09.2024 को माननीय न्यायालय CJM कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 5,00/- रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
2. वर्ष 2010 में अभियुक्त योगेन्द्र पुत्र साधूराम निवासी ग्राम गोगवान थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 324/2010 धारा 4/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 25.09.2024 को माननीय न्यायालय CJM कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 5,00/- रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
3. वर्ष 2009 में अभियुक्त दिलशाद पुत्र साखी निवासी ग्राम बसेड़ा थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 1079/2009 धारा 4/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 25.09.2024 को माननीय न्यायालय CJM कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 5,00/- रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
4. वर्ष 2001 में अभियुक्तगण 1.धर्मपाल पुत्र हरचन्द 2.हरि सिंह पुत्र शेर सिंह निवासीगण ग्राम बाकरपुर थाना कोतवाली बिजनौर जनपद बिजनौर के विरुद्ध थाना कोतवाली शामली पर मु0अ0सं0 50/2001 धारा 3/5ए/8 गौवध अधिनियम व 11(घ) पशु क्रुरता अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 25.09.2024 को माननीय न्यायालय CJM कैराना शामली द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 2,000-2,000/- रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 10-10 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
5. वर्ष 2004 में अभियुक्त सादिक पुत्र नाजर निवासी ग्राम तितरवाड़ा थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 48/2004 धारा 279/304ए/427 भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 25.09.2024 को माननीय न्यायालय ACJ(JD)/JM कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 2,000/- रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

<u>नाम व पता अभियुक्तगण:-</u>

1.अरविन्द पुत्र तेजपाल निवासी ग्राम मुकन्दपुर थाना छपरौली जनपद बागपत।
2.योगेन्द्र पुत्र साधूराम निवासी ग्राम गोगवान थाना कैराना जनपद शामली।
3.दिलशाद पुत्र साखी निवासी ग्राम बसेड़ा थाना कैराना जनपद शामली।
4.धर्मपाल पुत्र हरचन्द निवासी ग्राम बाकरपुर थाना कोतवाली बिजनौर जनपद बिजनौर।
5.हरि सिंह पुत्र शेर सिंह निवासी ग्राम बाकरपुर थाना कोतवाली बिजनौर जनपद बिजनौर।
6.सादिक पुत्र नाजर निवासी ग्राम तितरवाड़ा थाना कैराना जनपद शामली।

<u>SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI</u>